न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 98/04 व 7/17 दायर दिनांकः 26.05.2004 व 06.02.2017

जीसीएमएस नं. 2017/00014

उनवान

1 मोतीराम पुत्र श्री हरजीवन जाति माली नि. कल्ला का गोला भुसावर (मृतक)
1/1 दलवीर पुत्र मोतीराम (मृतक) 1/1/1 कृष्णा पत्नि दलवीर 1/1/2 यशवन्त 1/1/3 भारतभूषण पुत्रान दलवीर 1/2 कमल 1/3 विजय 1/4 राजेन्द्र पुत्रान मोतीराम जातियान माली नि. कल्ला का गोला भुसावर तह. भुसावर 1/5 राधा पुत्री मोतीराम पत्नि राकेश जाति माली नि. कच्चा कुण्डा भरतपुर 1/6 गुडिया उर्फ पुत्री मोतीराम पत्नि भगवानसिंह जाति माली नि. पैट्रोल पम्प के पास कदूमर रोड खेरली जिला अलवर राज.।

——वादीगण

बनाम

1 अतरसिंह पुत्र मदन जाति माली नि. कल्ला का गोला भुसावर तह. भुसावर (फौत)
1/1 कमलेश पत्नि अतरसिंह 1/2 बवीता 1/3 गुडिया पुत्रियान अतरसिंह 1/4 सुनील 1/5 योगेश पुत्रान अतरसिंह जाति माली नि. कल्ला का गोला भुसावर तह. भुसावर 2 भगवानसिंह 3 यादराम 4 गोपाल 5 मोहन पुत्रान मदन जाति माली नि. कल्ला का गोला भुसावर तह. भुसावर 6 रामो पुत्र मदन जाति माली नि. कल्ला का गोला भुसावर 7 रामकली पुत्री मदन जाति माली नि. कल्ला का गोला भुसावर (फौत) 7/1 मनीष 7/2 कल्लन 7/3 टिंकू पुत्रान खैमसिंह 8 सोनदेई पुत्री मदन जाति माली नि. कल्ला का गोला भुसावर 9 शिवदेई पुत्र मदन जाति माली नि. कल्ला का गोला भुसावर 10 निरंजन दत्तक पुत्र भोलू जाति माली नि. कल्ला का गोला भुसावर (फौत) 10/1 हरप्यारी पत्नि निरंजन 10/2 पवन 10/3 सुरेश 10/4 करन 10/5 छोटेलाल पुंत्रान निरंजन 10/6 रीना उर्फ बवली पुत्र निरंजन जातियान माली नि. कल्ला का गोला भुसावर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——असल प्रतिवादीगण

11 ललिती बेवा मुकन्दी जाति माली नि. कल्ला का गोला भुसावर 12 फूलसिंह 13 सुखसिंह 14 फतेहसिंह 15 बालेन्द्र पुत्रान मुकन्दी जाति माली निवासी कल्ला का गोला भुसावर तहसील भुसावर 16 राम 17 कौशल्या 18 चिरौंजी 19 किरन 20 शकुन्तला पुत्रीयान मुकन्दी जाति माली निवासी कल्ला का गोला भुसावर तहसील भुसावर 21 सोहनलाल 22 सुन्दर 23 मुकेश पुत्रान बाबूलाल जाति माली निवासी कल्ला का गोला भुसावर तहसील भुसावर 24 सुआलाल पुत्र रूपसिंह जाति माली निवासी कल्ला का गोला तहसील भुसावर 25 श्यामसिंह पुत्र हरजीवन जाति माली निवासी कल्ला का गोला भुसावर तहसील भुसावर 26 रामौती पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी कल्ला का गोला भुसावर हाल निवासी गौनेर रोड जयपुर हाल भुसावर जिला भरतपुर राज.(मृतक) 26/1 राजेन्द्र 26/2 महेन्द्र 26/3 गुड्डू 26/4 मुन्ना 26/5 छोटेलाल 26/6 बवलू पुत्रान बाबूलाल 27 केशर पुत्री हरजीवन पत्नि मौहरसिंह जाति माली निवासी बयाना दरवाजा वैर 28 उर्मिला पुत्री हरजीवन पत्नी भंवल जाति माली निवासी भुसावर दरवाजा वैर 29 ओमवती पुत्री हरजीवन पत्नि नारायणसिंह जाति माली निवासी भुसावर दरवाजा वैर ।

——तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. 1955

उपस्थितः—
1 श्री चन्द्रशेखर तिवारी ——वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

निर्णय दिनांक30/01/2026

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हरजीवन का जो सजरा बतलाया गया है उसमें से उसका एक लडका निरंजन हरजीवन के छोटे भाई भोलू के यहां गोद दे दिया गया है। जो उसकी सम्पत्ति पर काबिज है।

आराजी खसरा नंबर 270 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा के सम्पूर्ण भाग एवं आराजी खसरा नंबर 225 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, 226 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, 227 रकबा 11 बिस्वा, 228 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, 230 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा, 231 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, 232 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा, 233 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा, 289 रकबा 04 बीघा कुल किता 09 कुल रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा से निस्फ भाग वाके ग्राम भुसावर प्रथम तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें वादी के पिता हरजीवन के पिता संवत 2013 से 2016 की खसरा गिरदावरी में गैर मौरोसी साल 10 दर्ज है, जो वादी के पिता की कब्जे काश्त की आराजी रही है। पूर्व में इस भूमि के मालिक कृष्णावत तिवाडी ब्राह्मण थे, जिस पर संवत 2004 से पूर्व से वादी के पिता का कब्जा काश्त रहा है।

उक्त वर्णित आराजी में वादी के पिता का नाम गैर मौरोसी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की वजह से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से वादी के पिता हरजीवन को संवत 2012 में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये और वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में संवत 2016–20 की जमाबन्दी में उपरोक्तानुसार खातेदारी प्रदान कर खातेदार दर्ज कर दिया गया और वादी के पिता तभी से उक्त आराजी के काबिज काश्तकार एवं खातेदार चले आ रहे है तथा वादी भी उस समय सामर्थ होने की वजह से अपने पिता के साथ काश्त करता चला आ रहा है।

उपरोक्त नंबरान में से आराजी खसरा नंबर 227 रकबा 11 बिस्वा एवं 279 रकबा 04 बीघा में से 01 बीघा 11 बिस्वा नगर पालिका भुसावर के नाम चला गया, शेष रकबा पर वादी अपने पिता के साथ काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा नगर पालिका में आने वाले रकबा में हम पक्षकारगण की आबादी बसी हुई है।

उक्त वर्णित आराजीयात में निहित अपनी खातेदारी की विभाजन की बाबत वादी के पिता ने सन 1977 में कोई रजाबन्दी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के पिता बदन एवं निरंजन दत्तक पुत्र भोलू प्रतिवादी संख्या 10 को नहीं दी थी, लेकिन दोनों ने आपस में कॉलूजन करके वादी के पिता के बिना पढ़े लिखे होने के कारण नाजायज फायदा उठाते हुये व उसकी जमीन को हडपने के इरादे से राजस्व कर्मचारियों के मिलकर राजस्व अधिकारी से विभाजन का आदेश करवाकर वादी के पिता के साथ जरिये नामान्तकरण संख्या 2994 के द्वारा 1/3, 1/3 की खातेदारी दर्ज करा ली, जिसकी जानकारी वादी के पिता को नहीं थी। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबन्दी संवत 2036 लगायत 2039 में प्रतिवादीगण की खातेदारी का (मदन एवं निरंजन) इन्द्राज दर्ज हो गया जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है तथा किसी भी नियम के तहत इस तरह के आदेश व नामान्तरकरण नहीं किये जा सकते। अतः उक्त इन्द्राज कलमजन किये जाने योग्य है।

वादी के पिता हरजीवन का स्वर्गवास हो जाने पर जब वादी ने विरासत का दाखिल खारिज दर्ज कराने हेतु नकल जमाबन्दी प्राप्त की तो पता चला कि वादग्रस्त खसरा नंबरान में प्रतिवादीगण, वादी के पिता हरजीवन के साथ अपने आपको 1/3, 1/3 का सहखातेदार दर्ज करा रखा है। जबकि उक्त नंबरान ना तो पैत्रिक है और ना ही विरासत से वादी के पिता के पास आये है। वादी के पिता की स्वअर्जित कब्जे काश्त व गैर मौरोसी की आराजी रही है। जिस पर बदस्तूर कब्जा वादी के पिता के साथ साथ वादी का भी चला आ रहा है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि आ.ख.नं. 270 का संपूर्ण भाग व शेष खसरा नंबरान किता 9 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा के निस्फ भाग वाके ग्राम भुसावर प्रथम में वादी के पिता की गैर मौरोसी की आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है और वादी एवं प्रतिवादी संख्या 25 वाहिस्सा बराबर विरासत के आधार पर काविज काश्तकार एवं खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के नाम हो रही खातेदारी का इन्द्राज कलमजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जावे।

221

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा कराई गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 की ओर से श्री चरणसिंह धाकड द्वारा वकालतनामा एवं जवाब पेश किया गया व प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से वकालतनामा श्री पदमेश कुमार द्वारा पेश किया गया, बाद प्रतिवादी संख्या 10 की मृत्यु होने पर उनके वारिसान की ओर से वकालतनामा श्री पप्पूराम एड. द्वारा पेश किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 15 व 24 की ओर से वकालतनामा श्री बालेन्द्र सुमन एड. द्वारा मय जवाब पेश किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 15 व 24 उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 19.08.2006 को उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 16 लगायत 20 की ओर से श्री बालेन्द्र सुमन एड. द्वारा वकालतनामा, जवाब मय का अन्तर कलेम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 25 की ओर से श्री मानवेन्द्र दत्तात्रेय एड. द्वारा वकालतनामा जवाब पेश किया गया तथा दिनांक 05.04.2008 को प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 15 व 24 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी एक तरफा मंसूखी हेतु पेश की गई एवं प्रतिवादीगण संख्या 21, 22, 23 की ओर से मीमो पेश किया, जिसका बाद में वकालतनामा श्री देवेन्द्रशरण पाठक एड. द्वारा पेश किया गया। दिनांक 30.07.2008 को प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 15 व 24 की ओर से वकालतनामा श्री रविन्द्र कुमार एड. द्वारा पेश किया गया।

दिनांक 03.10.2008 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश कर्ता में से कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा.दी. मृतक मोती का स्वीकार किया गया।

दिनांक 19.01.2009 को प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 15 व 24 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया गया तथा दिनांक 30.03.2009 को प्रतिवादीगण संख्या 21, 22, 23 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया तथा दिनांक 15.09.2009 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 बाद सुनवाई खारिज किया गया।

दिनांक 09.04.2010 को फरीकेन के दावा व जवाब दावे के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम किये गये। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया जो 700 रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 26 लगायत 29 द्वारा जवाब पेश किया गया जो बाद तनकी पेश किया गया।

दिनांक 11.11.2011 को उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली श्रीमान निबन्धन महोदय, अजमेर द्वारा तलब करने पर भिजवाने बाबत आदेशित किया गया।

उक्त प्रकरण श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के पत्रांक/राजस्व/16/84 दिनांक 13.01.2017 द्वारा प्राप्त होने पर पुनः दर्ज की गई।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर कैम्प जयपुर की निगरानी संख्या 9349/2009 ललिता देवी बनाम मोतीराम वगै. निर्णय दिनांक 15.10.2015 द्वारा निगरानी स्वीकार होने पर पुनः प्रकरण नंबर पर लाया गया तथा प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा श्री अशोक कुमार सैनी एड. द्वारा प्रस्तुत किया गया। वादी दलवीर उपस्थित हुए वादीगण की ओर से वकालतनामा श्री राजू सैनी एड. द्वारा पेश किया गया।

प्रकरण में तनकीयात कायम होने पर प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादी हेतु प्रतिवादी संख्या 10 मृत्यु होने पर श्री पप्पूराम एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 01.07.2019 को प्रतिवादी संख्या 26 की मृत्यु होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4, दिनांक 20.03.2023 प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने पर, दिनांक 01.03.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 प्रतिवादी संख्या 7 की मृत्यु होने पर तथा वादी संख्या 1/5 राजेन्द्र सैनी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा.दी. वादी की मृत्यु होने पर पेश किया गया तथा वादीगण की ओर से वकालतनामा श्री चन्द्रशेखर तिवारी एड. द्वारा पेश किया गया। वादी की ओर से साक्ष्यवादी विजय एवं राजेन्द्र द्वारा पेश किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 बाद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई गई तथा प्रतिवादीगण संख्या 7/1 लगायत 7/3 द्वारा तामील लेने से इंकार करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं एवं उनके अधिवक्तागण कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई गई तथा संशोधित शीर्षक पेश किया गया। साक्ष्य वादी PW-1, PW-2 द्वारा लेखबद्ध कराई गई।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व में उपस्थित अधिवक्तागण अब बार–2 अवसर के बाद भी उपस्थित नहीं आने पर बहस पर वादीगण अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी वकील की दलीलों पर मनन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी संख्या 1:– आया हरजीवन का लडका निरंजन, हरजीवन के छोटे भाई भोलू के यहां गोद चला गया है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, जिसके संबंध में उन्होंने दावे की मद संख्या 1 में अंकित सजरा प्रस्तुत किया गया है तथा इस बाबत उन्होंन शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अतः तनकी संख्या 1 वहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2:– आया विवादित आराजी पर 2004 से 2016 तक खसरा गिरदावरी गैर मौरोसी रहा है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, इसका उल्लेख वादीगण द्वारा अपने दावा एवं शपथ पत्र में अंकित किया गया है तथा प्रतिवादीगण की ओर से दौराने बहस कोई उपस्थित नहीं आने के कारण तनकी संख्या 2 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3:– आया प्रतिवादीगण द्वारा आपस में मिलकर बिना रजामन्दी ही वादी के पिता का अनपढ होने का लाभ उठाकर संवत 2026–2036 में प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज गलत तौर पर दर्ज कर दिया है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, जिसके संबंध में उन्होंने दावा एवं इसमें प्रस्तुत शपथ पत्र दावे में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी से जाहिर है। जबकि वादी द्वारा इस संबंध में अपने जवाब के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य आदि पेश नहीं किया गया। अतः तनकी संख्या 3 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4:– आया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 25 आराजी मुतनाजा के खातेदार काश्तकार व वाहिस्सा बराबर काबिज है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, जिसके संबंध में उन्होंन दावा एवं प्रस्तुत शपथ पत्र व प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी एवं साक्ष्य PW-1, PW-2 पेश किये गये।

तनकी संख्या 5:– आया वादी, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का हकदार है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था, जिसके संबंध में उन्होंने दावा एवं साक्ष्य वादीगण तथा जमाबन्दी पेश की गई। जिससे वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 5 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6:– आया वादी ने अपने वाद में कॉन्टीनेन्ट होने के बावजूद भी विभाजन की दादरसी नहीं चाही गई और न ही बेदखली की दादरसी चाही गई है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसके संबंध में उन्होंने मात्र जवाब दावे में उल्लेख किया गया है। दौराने बहस प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं एवं उनके द्वारा साक्ष्य प्रतिवादीगण नहीं पेश करने के कारण तनकी संख्या 6 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 7:– आया जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की मद संख्या 18 के अनुसार वाद पत्र नोट ज्वाईन्डर व मिस ज्वाईन्डर का दोष विद्यमान है। अतः वाद पत्र काबिले खारिज है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण संख्या 1 लगायत 9 पर था, जिसके संबंध में उन्होंने मात्र जवाब दावा पेश किया गया है तथा अपनी ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं किया गया और न ही वे एवं उनका वकील दौराने बहस उपस्थित हुआ। अतः तनकी संख्या 7 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 8:– आया आउन्टर क्लेम स्वीकार करके आराजी मुतनाजा का विभाजन सहखातेदार के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना विधिवत है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 16 लगायत 20 पर था, जिसके संबंध में उन्होंन मात्र जवाब दावा पेश किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी एवं बहस वक्त प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं आये। अतः तनकी संख्या 8 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर (राजस्थान)

तनकी संख्या 9:– आया दावा हाजा काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 20 जवाब दावा में मद संख्या 23 स्वीकार किया जाकर काउन्टर क्लमे दावा डिक्री किया जावे।

इस तनकी को सिद्ध करने का प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 20 पर था, इसके संबंध में उन्होंने न तो वक्त बहस उपस्थित आये और न ही साक्ष्य प्रतिवादी पेश की गई। जिनके अभाव में तनकी संख्या 9 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 10:– आया जवाब दावा प्रतिवादी संख्या 21 लगायत 23 के मद संख्या 14 दावा गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज योग्य है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था, जिसके संबंध में वादीगण द्वारा जवाब दावा ही पेश किया गया है। इस बाबत प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं किया गया। ना ही दौराने बहस उपस्थित आये। अतः तनकी संख्या 10 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 11:– आया वादी ने प्रतिवादीगण की जमीन गलत तरीके से हडपने का दावा किया है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण एवं उनके वकील दौराने बहस उपस्थित नहीं आये एवं न ही समस्त प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रतिवादीगण पेश की गई। अतः तनकी संख्या 11 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

दादरसी:– तनकीवार निर्णयानुसार तनकी संख्या 1 लगायत 5 वहक वादीगण निर्णित होने व तनकी संख्या 6 लगातय 11 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित होने से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी बाबत आराजी खसरा नंबर 270 का सम्पूर्ण हिस्सा व शेष खसरा नंबर 225, 226, 227, 228, 330, 231, 232, 233, 289 किता 9 रकबा कुल रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा से निस्फ भाग वाके ग्राम भुसावर प्रथम में जो गैर मौरोसी संवत 2013 से 2016 में दर्ज है। जिसके आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 25 वाहिस्सा बराबर विरासत के आधार पर काबिज काश्तकार एवं खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के नाम हो रही खातेदारी को कलमजन कर वादी (मृतक) के वारिसान के नाम वाहिस्सा खातेदारी दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे खण्ड संख्या 3 में वर्णित आराजीयात में वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा व रूकावट पैदा नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.